एसएमएस अस्पताल से अपहृत मासूम दिव्यांश सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी हेमेन्द्र के घर में 4 बेटियां थी, बेटे की चाहत में उसने 1 माह तक रैकी के बाद 4 महीने के दिव्यांश को चुराया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल के बांगड़ यूनिट से चोरी किए गए 4 महीने के मासूम बच्चे को जयपुर पुलिस ने सकुशल दस्तयाब कर लिया है। 3 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को शिप्रा पथ इलाके के रीको इंडस्ट्रियल एरिया की पवन विहार कॉलोनी से दस्तयाब किया है। बच्चे को किडनैप करने वाले आरोपी राजू उर्फ हेमेंद्र निवासी नदबई (भरतपुर) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हेमेंद्र के घर में 4 बेटियां थी, और बेटा नहीं था। ऐसे में बेटे की चाहत में हेमेंद्र ने करीब 1 महीने तक रैकी करने के बाद 4 महीने के दिव्यांश को सवाई मानसिंह अस्पताल से चुरा लिया।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लाम्बा ने बताया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम को अंजाम देने के लिए कई दिन तक दिव्यांश के परिजनों की मदद की और उन्हें विश्वास में लिया। चार दिन पहले बांगड़ अस्पताल में मौका देख कर वह बच्चे का किडनैप कर फरार हो गया। 3 दिन तक आरोपी ने इस बच्चे को अपने घर पर छुपाए रखा। अचानक से महेश नगर थाने के कांस्टेबल भीम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयपुर शहर के अस्पताल से गायब हुआ 4 महीने का मासूम दिव्यांश शिप्रापथ के रीको इंडस्ट्रियल एरिया के पवन विहार कॉलोनी में एक मकान में देखा गया है। सूचना पर कांस्टेबल भीम सिंह खुद अकेला कॉलोनी में पहुंचा और आरोपी के बारे में सूचना जुटाना शुरू कर दिया। सूचना पुख्ता हो जाने के बाद कांस्टेबल भीम सिंह ने महेश नगर थाने की मदद से आरोपी को बच्चे के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। जब वह आरोपी के घर पर पहुंचा तो बच्चा सकुशल उसके परिजनों की गोद में खेल रहा था।

पुलिस ने मासूम के अपहर्ता हेमेन्द्र को गिरफ्तार कर बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

- **महेश नगर थाने के कांस्टेबल भीम सिंह ने मुखबिर की मदद से दिव्यांश का पता लगाया, सूचना पुख्ता होते ही आरोपी को दबोच लिया**
- **6 माह से बच्चे के अपहरण की योजना बना रहा था आरोपी, सिंधी कैंप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका**
- **पुलिस इस पूरे प्रकरण में आरोपी हेमेंद्र के परिवार की भूमिका भी जांच रही है, ऐसे में बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।**

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी राजू उर्फ हेमेंद्र पिछले 6 महीने से अपने लिए एक बच्चे की किडनैपिंग करने की योजना बना रहा था। उसे बच्चे की चाहत थी। ऐसे में सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन पर भी आरोपी ने बच्चा किडनैप करने की योजना भी बनाई थी। लेकिन इस योजना में आरोपी फेल हो गया। मौका देख कर आरोपी सवाई मानसिंह अस्पताल से ये बच्चा चोरी करने में कामयाब हो गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हेमेंद्र के परिवार की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। किडनैपिंग के इस प्रकरण में परिवार की भूमिका पाए जाने पर अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। उधर बच्चे के मिलने की सूचना मिलने पर परिवार दौसा से जयपुर पहुंचा। बच्चे के दादा कालू, दादी सहित अन्य परिवारजन कमिश्नरेट पहुंचे। पुलिस ने बच्चे को परिवार को सुपूर्द कर दिया। जिसके बाद परिवार खुश नजर आया। बच्चे को पाकर परिजनों की आंखें खुशी से भीग गई।

एडि. कमिश्नर (फर्स्ट) अजय पाल लाम्बा ने बताया कि आरोपी हेमेंद्र उर्फ राजू (29) मूलतः नदबई, भरतपुर का रहने वाला है। वह मानसरोवर इलाके में किराए से रहकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए रोज मानसरोवर वीटी रोड चौराहे पर जाता था। पिछले चार दिन से वह चौराहे पर नहीं आ रहा था। बच्चा चोरी करने के बाद वह किसी से मिल भी नहीं रहा था।

हॉस्पिटल से बच्चा चोरी के बाद आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तलाश के लिए आमजन को बच्चा चोर का हुलिया जारी किया गया। हुलिए के आधार पर पुलिस को आरोपी राजू के बारे में पता चला। पुलिस ने शनिवार सुबह राजू के मोबाइल नंबर वीटी रोड चौराहे पर खड़े होने वाले उसके साथियों से लिया था। कॉन्टैक्ट करने पर राजू ने खुद को गांव में होने की जानकारी दी। पुलिस ने लोकेशन निकलवाई तो वह जयपुर की आई। राजू के घर पुलिस ने शनिवार शाम करीब 4 बजे दबिश दी। घर में दिव्यांश उसकी मां-पत्नी की गोद में खेलता मिला। राजू और बच्चे को पुलिस थाने ले आई। जांच में सामने आया है कि आरोपी के परिवार में बच्चे की जरूरत थी। इसके चलते उसने एसएमएस हॉस्पिटल से बच्चा दिव्यांश चुराया था।

ज्ञात रहे कि दरअसल, दौसा के कालूराम ने पोते आयुष को 24 जुलाई बांगड हॉस्पिटल को भर्ती करवाया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। इस दौरान मदद के बहाने आरोपी भी कालूराम के साथ हो गया। वो उन्हें खाना लाकर देता था, अस्पताल में दवाई लाना और अन्य काम में मदद करने लगा। बच्चे के दादा-दादी को कॉन्फिडेंस में लिया। बुधवार को खाना खाने के दौरान दादा ने 4 माह के दिव्यांश को आरोपी को दे दिया। इसी का फायदा उठा फरार हो गया।

28 साल तक शिक्षक ने नौकरी की, अब सरकार ने चयन ही अवैध माना

- **याचिका में कहा कि विभाग में कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया**
- **सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन परिलाभ नही दिये गये तो उसने हाईकोर्ट में याचिका पेश की**
- **अदालत ने बीकानेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला शिक्षाधिकारी को हाजिर होने के आदेश दिये**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की सेवानिवृत्ति के बाद उसके चयन को अवैध मानने पर बीकानेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला शिक्षाधिकारी को तीस अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश रामस्वरूप शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 24 अप्रैल, 1990 को बीकानेर जिला परिषद में हुई थी। विभाग में कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया। वहीं जून, 2018 को वह जयपुर के दूदू से सेवानिवृत्त हो गया। जब उसे पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए तो उसने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों अदालत ने विभाग से जवाब मांगा था। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर हुई थी। शिक्षक ने अप्रैल 199 को जिला स्थापना समिति को अध्यापक चयन के लिए आवेदन किया, लेकिन संवीक्षा रिपोर्ट पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने तक उसकी बीएसटीसी की डिग्री की जांच रिपोर्ट नहीं होने के कारण उसका चयन नहीं किया गया। वहीं बाद में उसका तबादला बीकानेर से जयपुर में हो गया। ऐसे में रिकॉर्ड के अभाव में आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके अलावा जयपुर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आने के कारण जिला स्थापना समिति, बीकानेर द्वारा चयन की कार्रवाई नहीं की गई। जवाब में यह भी कहा गया कि याचिका दायर करने के बाद विभाग ने याचिकाकर्ता के डिप्लोमा की जांच के लिए कमेटी गठित की। कमेटी को संबंधित संस्था ने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट के वर्ष 2004 के आदेश पर संस्था का रिकॉर्ड सीज होने के कारण याचिकाकर्ता की अंकतालिका का सत्यापन नहीं हो पाएगा। वहीं कमेटी को राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर की रजिस्ट्रार गीता मिश्रा ने बताया कि संस्थान ने याचिकाकर्ता को उपाधि नहीं दी है।

ऐसे में जिला स्थापना समिति ने गत दो अगस्त को याचिकाकर्ता के प्राइमरी टीचर प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानते हुए उनका स्थायीकरण नही करने का निर्णय लिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला शिक्षाधिकारी को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है।

पहले से काम कर रहे अधिकारी को राहत दी हाईकोर्ट ने

जयपुर, (का.सं.)। जल संसाधन विभाग में खंडीय लेखाकार के पद पर प्रयागराज से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी ने पद ग्रहण कर लिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस पद पर पहले से ही काम कर रहे अधिकारी का तबादला नहीं किया। मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने अब पहले से काम कर रहे अधिकारी को पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने निदेशक राजकोष और महालेखाकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश यशवंत सिंह की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अधिशासी अभियंता जल संसाधन, सीकर में खंडीय लेखाकार के रिक्त पद का काम देख रहा है। कार्यालय महालेखाकार राजस्थान ने गत 2 फरवरी को एजी कार्यालय प्रयागराज के अधीन अलीगढ़ में पदस्थापित भरत सिंह को याचिकाकर्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति दे दी। वहीं याचिकाकर्ता का दूसरी जगह तबादला भी नहीं किया। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने निदेशक लेखाकार को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पद पर अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति दर्शाती है कि महालेखाकार कार्यालय ने बिना दिमाग लगाए मशीनी अंदाज में आदेश पारित किया है, जो नियम विरूद्ध है।

राज्यपाल बैठक में सम्मिलित हुए

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को राष्ट्रपति भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ली गयी बैठक में सम्मिलित हुए।

कीर्ति नगर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि., जयपुर
क्रः S.P. 01 **आम सभा की सूचना** दि.05.08.2022
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 16.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय :- बी-14, द्वितीय तल, सेन्ट्रल मार्केट, बापूनगर, जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार है :- 1. गत आमसभा की पुष्टि। 2. समिति की गत वर्षों की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार। 3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त समय पर आम सभा में उपस्थित होवे। **मंत्री**
कीर्ति नगर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि., जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री कैलाश चंद नापित निवासी-330, कठेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर द्वारा अपने छोटे बेटे अरूण सेन को उसके बुरे व्यसनो तथा परिवारजन के साथ दुर्व्यहार के कारण अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। भविष्य में उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिये मेरा अभिभाष्य एवं उसका परिवार उत्तरदायी नहीं रहेगा। सूचित रहे।
एल.पी.सिंघल, एडवोकेट, मो.नं. 9314521489

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर
क्रमांक-981 दिनांक-2.8.2022
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 6/36 एन.ई.बी. 82, योजना, अलवर जो कि श्री जे.सी. शर्मा को आवंटन पत्रांक 2200 दिनांक 18.09.1990 के द्वारा आवंटित किया गया था। जिसका कब्जा मण्डल से दिनांक 03.12.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। श्री जे.सी. शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.10.2016 को हो जाने के कारण मृत्यक के उत्तराधिकारी श्री अनिरूद्ध शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द शर्मा ने पंजीकृत हक्तयाग एवं शपथ पत्रों के आधार पर स्वयं के नाम मृत्यु उपरान्त आवास का नाम हस्तानान्तरण कराने हेतु आवेदन किया है। श्री अनिरूद्ध शर्मा द्वाराआवास का अपने नाम मृत्यु उपरान्त नाम हस्तानान्तरण कराने हेतु शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये गये है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 6/36 एन.ई.बी.82 योजना अलवर के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें। अन्यथा श्री अनिरूद्ध शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द शर्मा के पक्ष में आवास का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-अलवर

खोया पाया
कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा जारी मूल पेमेन्ट रसीद एवं साईट प्लान गुम गये। जो प्लाट नं. 37, कृष्णा कॉलोनी, सुशीलपुरा, जयपुर के थे। संपर्क-सरोज शर्मा-9828123992

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कैलाशपुरी के भूखण्ड संख्या 39 के मूल सोसायटी पट्टा, रसीद, साइट प्लान गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें- जगदीश सैनी मो.-9511528251

आम सूचना
मैं तेजमल माली पुत्र श्री हरिनारायण माली, निवासी बन्थली। यह घोषणा करता हूँ कि मेरे चचेरा भाई स्व. नन्दराम माली पुत्र श्री बजरंग लाल माली, निवासी बन्थली ने दिनांक 15.02.2022 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति मेरे नाम वसीयत कर दी है। जिसमें जमीन जो कि वाके ग्राम बन्थली में ख.नं. 441, 442, 456, 461, 462, 463, 464, 465, 469, 584, 675, 676, 677, 735, 736, 96 कुल किता 16 कुल रकबा 3.0200 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा, ख.नं. 1080, 1081, 2394/1081 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा, ख.नं. 681, 682, 734 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर में से 5/72 हिस्सा, उक्त सम्पत्ति उनके स्वयं की अर्जित सम्पत्ति है। उक्त तीनों जमीनें व मकान जो कि वाके ग्राम बन्थली में स्थित हैं, कानूनन मैं अपने नाम नामातंरण करवा रहा हूँ। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सक्षम अधिकारी के समक्ष मय साक्ष्य के 7 दिवस के भीतर अपना उज्र कार्यालय तहसील दूनी, जिला टोंक को दर्ज करवा देवें अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उज्र मान्य नहीं होगा।
जरिए, एडवोकेट, (के.वी. सिंह)

नाम परिवर्तन
मैं अभय देव शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा जन्म दिनांक 13.06.1964 पता- जेएनयू विश्वविद्यालय जगतपुरा के पास 1224, बी-6, वृन्दु गार्डन जयपुर में मेरा नाम बदल कर अभय शर्मा रख लिया है। (शपथ पत्र दिनांक 5.8.2022 स्थान जयपुर)

I have changed my name from Parmanand to Parmanand Somani S/o Shri Kishan Chand Somani Residing 4 gauraksha Nagar, Model Town, Jagatpura, Jaipur 302017 (Rajasthan)

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक-एफ-6()उपा.राज.-द्वितीय (शा.प्र.)/ननिज/2022/1111 दिनांक- 28.06.2022
सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या 139, गुरूनानकपुरा, आदर्श नगर, जयपुर का रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जयपुर द्वारा श्री खजान चन्द के नाम से क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। श्री खजान चन्द द्वारा उक्त भूखण्ड को श्री प्रकाश चन्द (धूडिया) परनामी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया। श्री प्रकाश चन्द धूडिया द्वारा भूखण्ड संख्या 139, गुरूनानकपुरा, आदर्श नगर, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज की वसीयत बराबर-बराबर अपने दोनों पुत्रों 1. श्री अरविन्द कुमार धूडिया 2. श्री संजय जिप्पी धूडिया के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित की गई। श्री प्रकाश चन्द धूडिया की मृत्यु उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा 1. श्री अरविन्द कुमार धूडिया 2. श्री संजय जिप्पी धूडिया पुत्रान स्व. श्री प्रकाश चन्द धूडिया के पक्ष में क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)
कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/2020-21 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-01.08.2022
श्रीमती तारा देवी धर्मपत्नी श्री वंशीधर जाति हरिजन निवासी वार्ड नं. 32 कचियागढ स्टेडियम के पास, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.32 अवस्थित अवस्थित भूखण्ड	चतुं सीमाऐं पूरब में कचियागढ आश्रम परिसर, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में प्लाट नं. 16, श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री प्रहलाद मल टेलर का एवं दक्षिण में प्लाट नं. 18 आवास श्रीमती कमला देवी पत्नी कन्हैयालाल टेलर का होकर स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप उत्तर-दक्षिण 30'-11" पूरब-पश्चिम 50'-4" होकर कुल रकबा 144.56 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 01.08.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि)
ब्लाक-7, भूतल, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. रोड, जयपुर
Email: jprdeolegal@gmail.com Phone No. 0141-2700285
क्रमांक-जिशिअ/प्राशि/विधि/जय/2022-23/6252 दिनांक-05.08.2022
सीमिति निविदा सूचना
श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविस/प्रार/बजट/बी-1/9520/2022-23/67 दिनांक 18.07.2022 की अनुपालना में स्थानीय कार्यालय में दो कम्प्यूटर (ऑल इन वन) एवं दो प्रिन्टर (ऑल इन वन) जैम पोर्टल (GEM PORTAL) की दरों के आधार पर खरीद हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाताओं से दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा दरें बंद लिफाफे में दिनांक 22.08.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर इसी दिनांक को 3.00 बजे उपापन समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदा दाताओं के सामने खोली जायेगी।

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	Desktop Computer (All in one)	02	140000	2800	22.08.2022	22.08.2022
2	Printer (Lesser) (All in one)	02				

उक्त निविदा सूचना http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है। निविदा फार्म (तकनीकि एवं वित्तीय) निविदा शर्ते एवं सामग्री सूची मय Technical Specification के उक्त पोर्टल से Download किये जा सकता है।
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (विधि) जयपुर

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
क्रमांक-पंसमौ/2022-23/521-524 दिनांक-03.08.2022
निविदा सूचना संख्या 05/2022-23
मनरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति मौजमाबाद के अधीन ग्राम पंचायतों की सहज दृष्टया दिवारों पर वॉल पेंटिंग कार्य की व्यवस्था हेतु सेवाओं का उपापन के लिए निम्न विवरणानुसार निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली धरोहर राशि	निविदा शुल्क	अनुबंध अवधि	निविदा विक्रय की तिथि	निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	निविदा जमा की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	बैंक/डी.डी. पर संबोधन
1	वॉल पेंटिंग नारा लेखन कार्य पंचायत समिति मौजमाबाद के अधीन 21 ग्राम पंचायतों में दिवारों पर वॉल पेंटिंग नारा लेखन	5.00	10000	500रु.	1 वर्ष	3.8.22 समय 11 बजे से	10.8.22 समय 11 बजे से	10.8.22 समय 12 बजे तक	10.8.22 समय 2 बजे तक	विकास अधिकारी पंचायत समिति मौजमाबाद

बोली से संबंधित शर्तो एवं अन्य विवरण निविदा प्रपत्र पंचायत समिति कार्यालय में निविदा शुल्क नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय समय में कार्यालय में एवं वेबसाइट gttp//:sppp.raj.gov.in पर देखा जा सकता है व केवल कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा। UBN NO.-ZJP2223WSOB01307, NIB-ZJP2223A0513
विकास अधिकारी
पंचायत समिति मौजमाबाद जयपुर

कांग्रेस ने बनाई तीन सदस्यीय कमेटी

जयपुर, (का.प्र.)। जालौर जिले में आश्रम के रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद एक संत की आत्महत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस की ओर से कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पेश करेगी।

कमेटी में मंत्री रामलाल जाट, अर्जुनसिंह बामनिया और भूराराम सिरवी सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को शामिल किया गया है।

कांग्रेस का कहना है कि जालौर जिले के भीनमाल से भाजपा विधायक पूराराम चौधरी की ओर से जालौर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के बाल हनुमान आश्रम के संत रविनाथ को परेशान किया गया। इस कारण संत रविनाथ को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। यह पूरी घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो जालौर जाकर वस्तुस्थिति एवं घटना के कारणों की रिपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवायेगी।

गुजरात की तीन विधानसभाओं में कांग्रेसजनों से चर्चा की भाया ने

जयपुर, (का.प्र.)। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस के कई मंत्री और विधायकों सहित अन्य नेताओं को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को गुजरात राज्य की तीन विधानसभाओं का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री भाया ने गुजरात पहुंचकर तीन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसजनों की बैठक ली।

मंत्री भाया द्वारा गुजरात पहुंचकर उनके प्रभार वाली राजकोट शहर के तीन विधानसभा क्षेत्र राजकोट ईस्ट (68), राजकोट वेस्ट (69) एवं राजकोट साउथ (70) के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर राय-मशविरा किया गया। मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल भी गुजरात राज्य के राजकोट शहर की इन तीनों विधानसभाओं की कमाल संभाल रहे है।

मंत्री प्रमोद जैन भाया तथा विधायक पानाचंद मेघवाल गुजरात की राजकोट शहर विधानसभा की तीनों सीटों से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए चुनावी रणनीति बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।

सराफ ने किया वृक्षारोपण

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने वार्ड 133 वसुंधरा कॉलोनी में वृक्षारोपण किया। सराफ ने स्थानीय लोगों के साथ शीशम, आम, गुलमोहर एवं अशोक के पेड़ लगाये। सराफ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएं और एक साल तक उसकी देखभाल करें फिर वही पेड़ जीवन भर आपको ऑक्सीजन देगा। स्थानीय पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि सभी लोगों ने संकल्प लिया कि पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल जरूर करेंगे।

लम्पी स्किन बीमारी को जल्द नियंत्रित करने के लिए केन्द्र हर संभव मदद करेगा : रूपाला

जयपुर, (का.सं.)। केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने कहा कि मवेशियों में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे। उन्होंने बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए केन्द्र से हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किया। रूपाला शनिवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा कर रहे थे।

- **राज्य सरकार संक्रमण रोकने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयासरत हर स्तर पर की जा रही है प्रभावी मॉनिटरिंग : लालचंद कटारिया**

केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषात्तम रूपाला ने शनिवार को शासन सचिवालय में राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य के पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया, गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सांसद रामचरण बोहरा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

केन्द्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस वायरस जनित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पशु इससे सक्रंमित हो गए हैं, उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं का वेक्सीनेशन कराएं। इसके लिए डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर भी बनाए जाएं, ताकि संक्रमण रोकने में मदद मिले और चिकित्सा एवं देखभाल करना आसान हो। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए गोट पॉक्स वेक्सीन पूरी तरह कारगर है। अति प्रभावित क्षेत्र में 3 एम.एल. के डोज का उपयोग करें और कम प्रभावित एवं अप्रभावित क्षेत्र के पशुओं को 1 एम.एल. का डोज लगाएं।

केन्द्रीय मंत्री रूपाला ने वेक्सीन एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ प्राथमिकता से फंड देने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. का तुरंत प्रभाव से उपयोग करना शुरू करें और केन्द्र सरकार से जहां अनुमति की आवश्यकता हो तो शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी मांगों का गंभीरता से आंकलन कर मदद की जाएगी। रूपाला